न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास दिव्या RAS

प्रार्थना पत्र सं. 29/2025

अनुवान राजूदेवी बनाम राजस्थान सरकार

आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 113, 128

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 05/05/2025

राजूदेवी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी पातलीसर बड़ा तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

– प्रार्थीनी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू

–अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 113, 128

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र कुमार सींवर, श्री ओमप्रकाश बेनीवाल, श्री आदेश सींवर, श्री प्रकाश गुरडा विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीनी
2. पैरोकार राज

निर्णय

प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी की तन्हा खातेदारी कृषि भूमि खेत ख.नं. 150 रकबा 7.6500 हैक्टेयर रोही पातलीसर बड़ा तहसील सरदारशहर में स्थित है। प्रार्थीनी के खेत के दक्षिणी दिशा की तरफ सींव के सहारे–सहारे ख0नं0 146 रकबा 0.8200 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता रोही पातलीसर बड़ा है जो रास्ता गांव पातलीसर बड़ा से मिलाणी जोहड़ी तक जाता है। प्रार्थीनी की भूमि ख.नं. 150 रकबा 7.6500 हैक्टेयर रोही पातलीसर बड़ा तहसील सरदारशहर मौके पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबा से कम होने पर प्रार्थीनी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए अप्रार्थी के

कार्यालय में आवेदन किया तथा नियमानुसार शुल्क जमा करवाया गया। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 20.02.2025 को प्रार्थीनी के खेत का नाप कर सीमाज्ञान करवाया गया तथा मौका पर मौका फर्द तैयार की गई। प्रार्थीनी की भूमि रकबा से कम पाई गई। प्रार्थीनी के खेत के दक्षिणी तरफ कटानी रास्ता ख0नं0 146 गुजरता है वह अपने तय स्थान पर नहीं गुजर कर उतर की तरफ प्रार्थीनी के खेत में से होकर गुजरता है। ख.नं. 146 गै.मु. कटानी रास्ता अपने निर्धारित स्थान से होकर नहीं गुजर कर प्रार्थीनी के खेत ख0नं0 150 की भूमि में से होकर गुजरता है जिसके कारण प्रार्थीनी अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो रही है। कटानी रास्ता प्रार्थीनी के खेत ख0नं0 150 की उतरी सींव के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम होकर गुजरता है जबकि मौके पर यह रास्ता प्रार्थीनी के खेत में से होकर अपने तय स्थान से दक्षिण की तरफ प्रार्थीनी के खेत में से होकर गुजरता है। इस कारण प्रार्थीनी के खेत ख.नं. 150 रकबा 7.6500 हैक्टेयर रोही पातलीसर बड़ा तहसील सरदारशहर की दक्षिणी दिशा की सीमा जो कटानी रास्ता के चिपती है पर पुख्ता निशानात कायम कर हदबन्दी की जानी उचित है। जिससे प्रार्थीनी शांति से अपनी कृषि भूमि को काश्त कर उपज ले सकें। प्रार्थीनी का सीमा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाये जिसके लिए पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करने के लिए प्रार्थीनी ने अप्रार्थी के कार्यालय में दिनांक 05.03.2025 को सम्पर्क कर कहा तो अप्रार्थी ने उक्त कार्य अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का होना बताते है। उपखण्ड अधिकारी महोदय के न्यायालय से आदेश करवाने का कहा जिससे प्रार्थीनी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का आधार एवं कारण प्राप्त है। प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान जमाबन्दी तथा नक्शा किश्तवार एवं फर्द मौका रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थीनी ने रास्ता भूमि के सम्बन्ध में कोई अनुतोष नहीं चाहा है। रास्ता तय स्थान से होकर नहीं गुजरता है इस कारण प्रार्थीनी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है तथा उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीनी ने अनुतोष चाहा कि प्रार्थीनी की तन्हा खातेदारी कृषि भूमि खेत ख.नं. 150 रकबा 7.6500 हैक्टेयर रोही पातलीसर बड़ा तहसील सरदारशहर की दक्षिणी सीमा पर पत्थरगढी की जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने कृपा करें। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थीनी वहन करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन सशुल्क तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार राज द्वारा प्रकरण में राज्यहित नहीं होने का कथन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

बहस प्रार्थीनी व पैरोकार राज सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थीनी की तन्हा खातेदारी कृषि भूमि खेत ख.नं. 150 रकवा 7.6500 हैक्टेयर रोही पातलीसर बड़ा तहसील सरदारशहर में स्थित है। प्रार्थीनी के खेत के दक्षिणी दिशा की तरफ सींव के सहारे–सहारे ख0नं0 146 रकवा 0.8200 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता रोही पातलीसर बड़ा है जो रास्ता गांव पातलीसर बड़ा से मिलाणी जोहड़ी तक जाता है। प्रार्थीनी की भूमि ख.नं. 150 रकवा 7.6500 हैक्टेयर रोही पातलीसर बड़ा तहसील सरदारशहर मौके पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकवा से कम होने पर प्रार्थीनी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए अप्रार्थी के कार्यालय में आवेदन किया तथा नियमानुसार शुल्क जमा करवाया गया। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 20.02.2025 को प्रार्थीनी के खेत का नाप कर सीमाज्ञान करवाया गया तथा मौका पर मौका फर्द तैयार की गई। प्रार्थीनी की भूमि रकवा से कम पाई गई। प्रार्थीनी के खेत के दक्षिणी तरफ कटानी रास्ता ख0नं0 146 गुजरता है वह अपने तय स्थान पर नहीं गुजर कर उतर की तरफ प्रार्थीनी के खेत में से होकर गुजरता है। ख.नं. 146 गै.मु. कटानी रास्ता अपने निर्धारित स्थान से होकर नहीं गुजर कर प्रार्थीनी के खेत ख0नं0 150 की भूमि में से होकर गुजरता है जिसके कारण प्रार्थीनी अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो रही है। कटानी रास्ता प्रार्थीनी के खेत ख0नं0 150 की उतरी सींव के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम होकर गुजरता है जबकि मौके पर यह रास्ता प्रार्थीनी के खेत में से होकर अपने तय स्थान से दक्षिण की तरफ प्रार्थीनी के खेत में से होकर गुजरता है। इस कारण प्रार्थीनी के खेत ख.नं. 150 रकबा 7.6500 हैक्टेयर रोही पातलीसर बड़ा तहसील सरदारशहर की दक्षिणी दिशा की सीमा जो कटानी रास्ता के चिपती है पर पुख्ता निशानात कायम कर हदबन्दी की जानी उचित है। इसलिए प्राथीनी अपने खेत की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाना चाहती है। जिसकी प्रार्थीनी खातेदार होने से अपने खेत की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाने की कानूनी अधिकारी है। जिसका खर्चा प्रार्थीनी वहन करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र के तथ्यों, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख व प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन व गौर किया गया। पैरोकार राज के जबाब का परिशीलन किया गया। वर्णित विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित पाया गया कि कृषि भूमि खेत ख.नं. 150 रकबा 7.6500 हैक्टेयर रोही पातलीसर बड़ा तहसील सरदारशहर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीनी जिस खेत की पत्थरगढी करवाना चाहती हैं उस खेत की स्वयं प्रार्थीनी खातेदार है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र पुष्ट व प्रमाणित पाया जाता है फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि वह दक्ष पटवारियों व गिरदावरों की टीम गठित कर प्रार्थीनी की तन्हा खातेदारी कृषि भूमि खेत ख.नं. 150 रकबा 7.6500 हैक्टेयर रोही पातलीसर बड़ा तहसील सरदारशहर की दक्षिणी सीमा पर पत्थरगढी की जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाकर एवं पेमाईश कराकर पुख्ता पत्थरगढी करावे। पेमाईश एवं पत्थरगढी का समस्त खर्चा प्रार्थीनी वहन करेंगी। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सरदारशहर को भिजवाई जावे। विवाद की स्थिति में पुलिस इमदाद से निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाये।

दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज़ दिनांक 05/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)